



# METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० महोदय द्वारा चलाये जा रहे operation conviction अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त को मा० न्यायालय द्वारा 01 वर्ष कठोर कारावास व 10,000 रु० अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

## अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि वादी मुकदमा उ०नि० श्री राजेश चन्द्रपाल थाना इन्हौना जनपद अमेठी द्वारा दिनांक 16.07.2024 को अभियुक्त के कब्जे से 25 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद होने पर मु०अ०सं० 51/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना इन्हौना पर पंजीकृत किया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मॉनीटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय रायबरेली में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप दिनांक 11.05.2026 को माननीय न्यायालय एसजे-07 रायबरेली द्वारा अभियुक्त को 01 वर्ष का कठोर कारावास 10,000/- रु० अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा।

## सजा का विवरण:-

- ❑ अभियुक्तों को 01 वर्ष का कठोर कारावास।
- ❑ अभियुक्तों को 10,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिन का साधारण कारावास।

## दोषसिद्ध अभियुक्तों का नाम व पता:-

- हसीब उर्फ लादेन पुत्र नसीम उर्फ अब्दुल करीम निवासी दक्खिन मोहल्ला थाना इन्हौना जनपद अमेठी।



एडीजीसी श्री राम  
प्रकाश तिवारी



पैरोकार का० राहुल  
कुमार

